न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –41 / 2012 जिला सीकर

1. श्रीमती संतोष बेवा स्वर्गीय गिरधारी बलाई
2. सुशील
3. अनिल
   पुत्रान स्वीर्गीय गिरधारी, समस्त जाति बलाईयान, निवासीगण थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
4. अजय

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कृष्ण कुमार
2. अजय कुमार
   पुत्रान स्व. बोदूराम बलाई
3. मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय बोदूराम बलाई
4. सुमित्रा
5. पार्वती
6. बिल्लो
7. मंजू
8. मधु
9. शकुन्तला
   पुत्रियॉ स्वर्गीय बोदूराम बलाई
10. उषा
11. फूली देवी पुत्री स्व. चूनाराम बलाई पत्नि रामचन्द्र
12. गुलाबी देवी पुत्री चुनाराम पत्नि गिरधारी बलाई
13. भंवरी देवी पुत्री चुनाराम पत्नि नरसाराम बलाई
14. हरिराम पुत्र हनुमान राम यादव, निवासी ढाणी अहीरान (गादडा वाली) तन रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
15. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ।
16. पटवारी हल्का थोई, तहसील श्रीमाधोपुर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 15.2.2011

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री आत्माराम शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री आर.एस.बुनकर एवं श्री जे.पी.यादव

निर्णय

दिनांक – 25.10.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 15.2.2011 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 589 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 590 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2650 रकबा 0.89 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.90 हैक्टेयर बजरंग लाल पुत्र गुलजारी लाल उर्फ गुलाबचन्द जाति पुरोहित (ब्राह्मण) निवासी थोई की खातेदारी मे दर्ज थी । उक्त भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 10 के दादी व 11 से 13 की माता मोहरी के स्वर्गीय पिता चूनाराम बलाई व उसके पुत्र बुद्धराज उर्फ बोदूराम बलाई ने दिनांक 30.5.1963 को जरिये इकरारनामा बजरंग लाल पुरोहित से क्रय की थी ओर काबिज काश्त चले आ रहे हैं ।

मोहरी देवी व बोदूराम के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलान्ट्स 1 से 13 भूमि पर काबिज काश्त है । बजरंग लाल द्वारा विवादित भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 30.5.63 को विक्रय किये जाने के बाद पुनः रेस्पोंडेन्ट संख्या 14 हरिराम यादव को विक्रय करदी ओर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 65 ग्रम पंचायत थोई द्वारा दिनांक 5.5.89 को क्रेता रेस्पोंडेन्ट संख्या 14 हरिराम यादव के नाम स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर मु. मोहरी बेवा चुना राम बलाई द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 31.3.2000 द्वारा स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत थोई का नामांतरकरण संख्या 65 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया कि उभयपक्षों को सुना जाकर प्रकरण में गहराई से जॉच कर नामांतरकरण भर कर तस्दीक करें । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 31.3.2000 की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2011 पारित कर विवादित भूमि के जरिये इकरारनामें से खरीददार मोहरी बेवा चूनाराम , बुद्धराम उर्फ बोदूराम पुत्र चूनाराम (मृतक) के वारिसान कृष्णकुमार वगैहरा को हकदार माना है एवं इस आदेश की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 1204 दिनांक 21.3.2011 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 13 के नाम स्वीकार किया है । तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 15.2.11 एवं नामांतरकरण संख्या 1204 दिनांक 21.3.11 के खिलाफ संतोष बेवा स्वर्गीय गिरधारी बलाई वगैहरा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश व नामांतरकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 2649, 2650 पर अपीलार्थी संख्या 1 के पति व 2 से 4 पिता गिरधारी लाल वर्ष 1981 से काबिज काश्त थे एवं गिरधारी लाल के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । गिरधारी लाल द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के पैसो से बोरिंग एवं चाह का निमार्ण करवाया था जिसका विद्युत बिल भी उनके नाम से ही है । विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स मय परिवार के मकानात बनाकर रह रहे हैं । विवादित भूमि पर रेस्पोंडन्ट्स का कभी भी किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रहा । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 31.3.2000 की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा करीबन ग्यारह वर्ष तक नहीं की एवं इसके बाद मोहरी के वारिसान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 13 ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 4.12.11 को एक प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना पेश कर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की क्रियान्विति हेतु प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने निर्णय दिनांक 15.2.2011 पारित कर नामांतरकरण संख्या 1204 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 13 के नाम स्वीकार कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । तहसीलदार द्वारा न तो प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये और न ही प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर मुकदमा नम्बर डाले गये । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी के सक्षम नामांतरकरण संख्या 65 के खिलाफ अपील में अपीलार्थी संख्या 1 के पति व अपीलान्ट संख्या 2 से 4 के पिता गिरधारी अपीलान्ट संख्या 2 दर्ज थे लेकिन तहसीलदार ने उन्हें सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है तथा अपीलाधीन आदेश व नामांतरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील पेश की है । अतः आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति दिनांक 13.4.12 से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है जिसे न्याय हित में उदारता का नरम रूख अपनाते हुए अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 10 की दादी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 11 से 13 की माता मोहरी के पति चूना राम व बुद्धराज उर्फ बोदूराम ने विवादित भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 30.5.1963 को क्रय की थी जो बजरंग लाल पुत्र गुलजारी लाल उर्फ गुलाबचन्द पुरोहित जाति ब्राह्मण की खातेदारी में थी । विवादित भूमि

बजरंग लाल पुत्र गुलजारी लाल उर्फ गुलाबचन्द पुरोहित जाति ब्राह्मण से खरीद का इकरारनामा पटवारी हल्का को प्रस्तुत कर दिया था एवं जिला कलक्टर महोदय से अपने नाम खाता स्थानान्तरण करने का आदेश प्राप्त किया था । पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 357 भर कर ग्रम पंचायत को पेश किया था जिसको ग्रम पंचायत ने अस्वीकार कर दिया जिसकी अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत को प्रकरण पक्षकारों को सुनकर नामांतरकरण दर्ज करने हेतु रिमाण्ड किया गया , लेकिन ग्रम पंचायत ने इसकी अनुपालना में कोई कार्यवाही नहीं की । इसी विवाद के चलते मूल खातेदार बजरंग लाल ने भूमि जरिये इकरारनामा वर्ष 1963 में विक्रय किये जाने के पश्चात् पुनः विवादित भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 14 हरिराम यादव को बेचान करदी , जो विधि विरूद्ध है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 14 हरिराम ने विधि विरूद्ध विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का से दिनाक 5.5.1989 को नामांतरकरण संख्ख्या 65 अपने नाम भरवाकर ग्रम पंचायत से तस्दीक करा लिया जिसके खिलाफ मौहरी देवी ने उप खण्ड अधिकारी के समक्ष अपील की थी जिसमें उप खण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 31.3.2000 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 65 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभयपक्षों को सुना जाकर प्रकरण में गहराई से जॉच कर नामांतरकरण भर कर तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था जिसकी अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2011 द्वारा विवादित भूमि के काबिज काश्तकार व हकदार मोहरी बेवा चूना राम, चूनाराम पुत्र रूडाराम व बुद्धराम उर्फ बोदूराम पुत्र चूनाराम , जो मृत हो चुके हैं , के वारिसान कृष्ण कुमार वगैहरा है, के नाम नामांतरकरण भरकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया एवं इसकी अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 1204 दिनांक 21.3.2011 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 13 के नाम तस्दीक किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि इकरारनामा दिनांक 30.5.63 के जरिये विवादित भूमि खरीद को भी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने वैध माना है । उनका कहना था कि यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा मियाद बाहर पेश की है जबकि अपीलाधीन आदेश व नामांतरकरण का ज्ञान उन्हें प्रारम्भ से ही था । अपीलान्ट्स का विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 14 हरीराम के अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि हरीराम ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1989 में क्रय की थी और तभी से भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । ग्रम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 65 रेस्पोंडेन्ट हरिराम के नाम तस्दीक किया था । अतः अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 13 का विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार बजरंग लाल पुत्र गुलजारी लाल उर्फ गुलाबचन्द जाति पुरोहित (ब्राह्मण) निवासी थोई से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 10 की दादी व 11 से 13 की माता मोहरी के स्वर्गीय पति चूनाराम बलाई व उसके पुत्र बुद्धराज उर्फ बोदूराम बलाई ने दिनांक 30.5.1963 को जरिये इकरारनामा क्रय की थी ओर तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.2.2011 पारित कर मोहरी देवी बेवा चूना राम, चूनाराम पुत्र रूडाराम व बुद्धराम उर्फ बोदूराम पुत्र चूनाराम जो सभी मृत हो चुके हैं, के वारिसान कृष्ण कुमार वगैहरा के नाम नामांतरकरण भरकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का को आदेश दिये गये ओर इस आदेश की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 1204 दिनांक 21.3.2011 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 13 के नाम तस्दीक किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । अपीलान्ट्स के यदि विवादित भूमि में कोई अधिकार हैं तो से सक्षम न्यायालय से तय कराने के लिये स्वतंत्र है । नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि नामांतरकरण भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर दिनांक 15.2.2011 एवं नामांतरकरण संख्या 1204 दिनांक 21.3.2011 उचित एवं विधिसम्यक है जिनमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर